यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-2 नई टिहरी** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-2 नई टिहरी** के माह 06/2018 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.), द्वारा दिनांक 29/10/2020 से 11/11/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री देवेन्द्र दिवाकर व श्री एस एस राणा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30/06/2018 से दिनांक 06/07/2018 तक श्री आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2016 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2018 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला –टिहरी के अंतर्गत विकास खंड है।

   (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18		-	178.21	178.21	3326.48	2666.91	-	659.57
2018-19		-	252.09	246.06	2195.04	1790.37	6.02	404.67
2019-20		-	278.18	272.93	3037.05	2482.38	5.25	554.67
2020-21		-	157.95	151.11	1584.86	1225.63	6.83	359.23

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	पी एम जी एस वाई		3326.48	2666.91	659.57
2018-19	,,		2195.04	1790.37	404.67
2019-20	,,		3037.05	2482.38	554.67
2020-21	,,		1584.86	1225.63	359.23

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी **"A"** है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

(5) मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता (8) सहायक अभियंता

(9) कनिष्ट अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ट साहयक ।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-2 नई टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-2 नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2020 एवम 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा थत्यूड़ से मरार मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2020 के अन्त में (धनराशि रु मे)
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - शून्य
   (ख) सामग्री क्रय - शून्य
   (ग) नगद परिशोधन - शून्य
   (घ) निक्षेप - शून्य
   (ङ) भण्डार - शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1: ₹ 74.53 लाख परिहार्य व्यय किए जाने का प्रकरण।

आई आर सी एस पी 20 के संस्करण 2002 के बिन्दु 4.3.3. के अनुसार रोड निर्माण मे सस्ते व low ग्रेड सामग्री का इस्तेमाल sub base/base courses मे किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त आई आर सी एस पी – 72 के संस्करण 2015 के बिन्दु 5.2 के प्रावधानों के अनुसार भी लोकल सामग्री के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी इकाई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -13 के अंतर्गत टिहरी मे पैकेज संख्या यू टी -11-03 के अनुसार थात्युर से मरार मोटर मार्ग स्टेज -1 एवं 2 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुई थी इसके बाद ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्र 311/GoI/xi/16/56/(08) 2014 दिनांक 21.07.2016 के द्वारा 19.600 किमी लम्बाई मे ₹ 1335.72 लाख सड़क निर्माण व 135.58 लाख अनुरक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी इसके बाद इन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुबंध संख्या 94 /CE-यूआरआरडीए/2016-17 का गठन दिनांक 18/12/16 को किया गया था अनुबंधित लागत ₹ 1326.72 लाख निर्माण व 5 साल के अनुरक्षण हेतु निर्धारित की गयी थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 23/12/16 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 22/12/17 थी। लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य पर रु 1277.08 लाख राशि व्यय की गयी थी उपरोक्त मार्ग की तकनीकी स्वीकृति माह 7/2016 मे GSB के लिए well graded सामग्री का प्रावधान किया गया था इसका Rate ₹ 1564 प्रति cum था इसके बाद माह 3/2017 मे दूसरी रोड डांडाचली से केंचु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु local सामग्री का प्रावधान किया गया था इस सामग्री का Rate ₹ 1060.40 था इस प्रकार इस मद मे well graded 14800 cum सामग्री का प्रावधान ₹ 503.60 प्रति cum अधिक था अत: ₹ 503.60 X 14800 = ₹ 74,53,280 धनराशि का अधिक प्रावधान किया गया था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि well graded GSB का प्रावधान डीपीआर में भी था। साइट पर भी well graded GSB का ही प्रयोग किया गया है उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछा गया था कि एक रोड मे लोकल सामग्री व एक रोड मे well graded GSB का प्रावधान करने से ₹ 74.53 लाख राशि का परिहार्य व्यय किया गया था इस राशि की बचत हो सकती थी। अत: ₹ 74.53 लाख अधिक व्यय किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 2: ₹ 581.36 लाख के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार Insurance 13.1 The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks:

13.3 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.

13.4 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

उपरोक्त नियमो के अनुपालन मे कार्यो का बीमा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है जिससे कि निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाए । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निम्नलिखित कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था ।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि ₹ लाख मे

1	बादसाहीथौल से संदकोटी लमकोट मोटर मार्ग	581.36	455.22

अत: रु 581.36 लाख के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग-II (ब)

प्रस्तर 3: ` 399.71 लाख मूल्य का सड़क निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 329/ पी01-34 (फेज-16)/ यू0आर0आर0डी0ए0 /2018 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा फुलेथ क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग (स्टेज-I) लम्बाई 7.550 किमी0 हेतु निर्माण कार्य के लिये ` 453.54 लाख एवं अनुरक्षण कार्य हेतु ` 34.60 लाख, कुल ` 488.14 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त निमार्ण कार्य हेतु अनुबंध संख्या 128/UT-11-70(I)/XVI/CE-URDDA/2018-19 दिनांक 31.12.2018 के द्वारा मेसर्स विजय इंजीनियरिंग एसोसिएट्स, देहरादून के साथ कुल ` 410.97 लाख का अनुबंध (निर्माण कार्य की लागत ` 399.71 लाख + अनुरक्षण कार्य की लागत ` 11.26 लाख) गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि 05/01/2019 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 04/04/2020 थी।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में वन भूमि आने के कारण तथा उपरोक्त वन भूमि पर सड़क निर्माण करने की वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण उपरोक्त निर्माण कार्य सम्प्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2020) तक पूर्ण नहीं हो सका था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वन विभाग के पत्र दिनांक 09/10/2020 के द्वारा उपरोक्त मार्ग निर्माण पर कार्य करने हेतु वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

उक्तर मान्य नहीं था क्योंकि वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाना चाहिये था।

अतः ` 399.71 लाख मूल्य का सड़क निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 4 : समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि/ पदोन्नति दिये जाने के के कारण कार्मिकों को ₹ 1.11 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10(3) के अनुसार ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/ चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/ चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड-2, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि:-

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त, अधिशासी अभियंता का सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण, "कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून" के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1501/प0ख/ दिनांक-24.05.2017 के द्वारा किया गया है। उक्त ज्ञाप के बिन्दु संख्या-12 के अनुसार उन्हे वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक- 01.01.2016 को अनुमन्य की गयी है जबकि श्री पन्त की सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों एवं उनके 26 वर्ष की निरंतर सेवा पर सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) मिलने पर वेतन निर्धारण संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1088/प0ख/ दिनांक- 13.04.2017 के अनुसार श्री पन्त की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई माह में देय होती है। इस प्रकार जो वार्षिक वेतन वृद्धि श्री पन्त को 01.07.2016 से अनुमन्य की जानी चाहिए थी, वह उन्हें 6 माह पहले दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य की गयी है जिसके कारण आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि, जो दिनांक 01.07.2017 को अनुमन्य की जानी चाहिए थी, भी समय से पहले 01.01.2017 को अनुमन्य की गयी है। इस प्रकार समय पूर्व वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.10.2020 तक की अवधि में श्री पन्त को कुल ₹33672/- मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का अधिक भुगतान किया गया है।

2. कार्यालय में कार्यरत सभी 06 अपर सहायक अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार उक्त सभी कार्मिकों को उनकी नियुक्ति तिथि से 03 वर्ष की सेवा पूर्ण

होने पर अपर सहायक अभियन्ता का नॉन फंक्सनल वेतनमान अनुमन्य किया गया है। जबकि अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति से संबन्धित उत्तराखंड सिंचाई विभाग अधीनस्थ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2018 के बिन्दु संख्या- 5(2)(क) के अनुसार अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा की गणना चयन वर्ष के प्रथम दिवस से की जानी है। इस प्रकार उक्त सभी 06 कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपर सहायक अभियंता के पद पर समय पूर्व (निम्न तालिका-1 के अनुसार) पदोन्नत किए जाने एवं पदोन्नति के पद का वेतन अनुमन्य किये जाने के कारण उनकी पदोन्नति की दिनांक से 31.10.2020 तक की अवधि में कुल ₹77,539/- की धनराशि का वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

तालिका-1

क्र0सं0	**नाम/ पदनाम**	**नियुक्ति तिथि**	**नियमानुसार चयन वर्ष के आधार पर पदोन्नति की तिथि**	**पदोन्नति की वास्तविक तिथि**	**अधिक भुगतान की गयी कुल धनराशि (₹ में)**
1.	श्री राजीव कुमार भारती, अपर सहा0 अभि0	10.07.2012	01.07.2016	10.10.2015	18627
2.	श्री विमल शाह, अपर सहा0 अभि0	07.11.2013	01.07.2017	07.11.2016	12114
3.	कु0 नीलम शाह/ अपर सहा0 अभि0	16.12.2013	01.07.2017	16.12.2016	10150
4.	श्री मोहित जैन, अपर सहा0 अभि0	07.11.2013	01.07.2017	07.11.2016	12114
5.	श्री सुमित कुमार, अपर सहा0 अभि0	06.11.2013	01.07.2017	06.11.2016	12165
6.	श्री शुभम नौटियाल, अपर सहा0 अभि0	02.11.2013	01.07.2017	02.11.2016	12369
				योग	**77539**

(अधिक भुगतानित राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना हेतु calculation sheet संलग्न है। उक्त गणना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी अभिलेखों/ साक्ष्यों एवं कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय लागू मंहगाई भत्ते की दरों के आधार पर की गई है।)

उक्त प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा बिन्दु-1 के संबंध में अवगत कराया गया कि संप्रेक्षा द्वारा अधिक भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी। बिन्दु-2 के संबंध में कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अपर सहायक अभियन्ताओं के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण को संशोधित करते हुए संबन्धित कार्मिक से अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।

खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि/ पदोन्नति दिये जाने के के कारण कार्मिकों को ₹ 1.11 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
81/11-12	1,	-	
79/14-15	-	1,	
97/16-17	-	1एवं 2	
54/2018-19	1	1,2	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी थी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड -2 नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   ---शून्य ---

2. सतत् अनियमितताएः **शून्य**
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री राजेन्द्र प्रसाद पंत	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध नहीं रहे थे।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-2 नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)